

## दिशा निर्देश

(सत्र 2022-23)

### “आपणी लाडो” बालिका शिक्षा हेतु समुदाय जागृति कार्यक्रम

#### प्रस्तावना :-


“बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ” कार्यक्रम बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने एवं बालिकाओं के कल्याण से सम्बन्धित सभी विषयों पर जागृति फैलाने की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एसएमसी सदस्य, एसडीएमसी स्थानीय प्राधिकारी/जनप्रतिनिधि एवं शिक्षकों के साथ सभी हितधारियों की जागृति एवं सहभागिता अत्यन्त आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य के समस्त जिलों में सभी राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में “बालिका शिक्षा हेतु समुदाय जागृति कार्यक्रम” मनाने का प्रावधान किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बालिकाओं को विद्यालयों में जोड़ने, ठहराव सुनिश्चित करने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं कोविड-19 से बचाव हेतु इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी विद्यालयों द्वारा एक रैली आयोजित की जायेगी एवं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु पोस्टर का निर्माण कर सार्वजनिक स्थलो पर लगाये जायेंगे। वर्ष 2022-23 के वार्षिक कार्ययोजना बजट समस्त जिलों के 53095 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु राशि ₹ 106.19/- लाख व 15360 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु राशि ₹ 30.72/- लाख का प्रावधान है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के Task No. 198 अनुसार Social Issue and Stigmas पर प्रधानाचार्य, प्रशासक, परामर्शदाता और विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाया जाये जिससे मुख्य धारा से अलग-थलग एवं वंचित वर्ग को मुख्य धारा में शामिल किया जाये।



## क्रियाविधि :-

- राज्य के समस्त जिलों के सभी राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जुलाई माह में एक रैली एवं एसएमसी/एसडीएमसी की बैठक आयोजित की जायेगी। एसएमसी/एसडीएमसी, अध्यापको व समुदाय के सहयोग से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु पोस्टर का निर्माण कर सार्वजनिक स्थलों पर लगाये जायें।
- रैली से एक दिन पूर्व ही बच्चों को रैली के आयोजन एवं उद्देश्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जायें।
- "बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ" कार्यक्रम की राज्य सरकार द्वारा ब्रान्ड एम्बेसेडर बनाई गयी सुश्री "अवनि " टोक्यो पैराओलम्पिक में स्वर्ण पदक विजेता की जीवन की सफलता की कहानी का वृत्तान्त भी बताया जाये।
- प्रातः रैली आयोजित की जायेगी, जिसमें विद्यालय के सभी विद्यार्थी एवं शिक्षक-शिक्षिकायें भाग लेंगे। अभिभावकों एवं जनप्रतिनिधियों को भी यथासंभव रैली में सम्मिलित किया जायें। रैली में प्रचार-प्रसार हेतु बैनर, छोटे-छोटे बोर्ड, तख्तियाँ आदि तैयार की जाये। इसके लिए अध्यापकों एवं बच्चों से सहयोग लिया जाये।
- बैनर एवं तख्ती आदि पर बालिका शिक्षा एवं अन्य बालिकाओं से सम्बन्धित विषयों पर स्लोगन कविताये जानकारी आदि लिखे जायें।
- रैली विद्यालय के कैचमेंट एरिया के सभी गलियों एवं मौहल्लों निकाली जाये। इस गतिविधि के लिए प्रति विद्यालय ₹ 200/- का प्रावधान किया गया है। इस राशि का उपयोग बैनर, तख्ती आदि सामग्री तैयार करने में किया जाये।
- राशि का व्यय एसएमसी/एसडीएमसी के माध्यम से किया जाए एवं व्यय का पूर्ण अभिलेख भी संधारित कर रखा जाए। प्रचार-प्रसार हेतु बनाई जाने वाली सामग्री विद्यालय अभिलेखों में संधारित कर विद्यालय में सुरक्षित रखें।
- रैली की सूचना/पोस्टर गाँव के मुख्य स्थानों जैसे :- ग्राम पंचायत, बाजार आदि स्थानों पर चस्पा की जाए। रैली में एएनएम/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/आशा सहयोगिनी आदि को भी आमंत्रित किया जाए।





रैली/पोस्टर सार्वजनिक स्थान पर लगाये जाने के बाद एसएमसी/एसडीएमसी की बैठक में "बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ" कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की जायें :-

- बालिकाओं के नामांकन कम होने का कारण।
- बालिकाओं के अधिक ड्राप आउट का कारण।
- नामांकन बढ़ाने एवं ड्राप आउट कम करने के उपाय एवं इसमें समुदाय की भूमिका।
- बालिकाओं की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य।
- बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय एवं उसकी सफाई की व्यवस्था।
- स्थानीय परिस्थितियों से सम्बन्धित बालिकाओं से जुड़े विशेष मुद्दे।

नोट :- रैली व बैठक के दौरान महिला/बालिका रोल मॉडल को आमंत्रित कर उनके संघर्ष/सफलता के अनुभवों की प्रस्तुती करवायी जाये तथा सुश्री अरुणि ब्रांड एम्बेसेडर "बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ" की संघर्ष/सफलता की कहानी दोहरायी जाये।

- उपरोक्त के अलावा बालिकाओं से सम्बन्धित अन्य ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। इस बैठक के निष्कर्ष में बालिकाओं से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान एवं उसमें अभिभावकों, स्थानीय प्राधिकारियों/जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों, छात्रों एवं अन्य हितधारियों की भूमिका को भी स्पष्ट किया जाये। उक्त कार्यक्रम में ऐसे अभिभावकों को सम्मानित किया जा सकता है जिनकी बेटियों ने शैक्षिक व सहशैक्षिक क्षेत्र में अपने गाँव में उपलब्धि हासिल की हो। बैठक का संचालन एवं संयोजन का दायित्व पीईईओ/संस्था प्रधान या उनके द्वारा नामित किसी अन्य अध्यापक का होगा। गतिविधि के आयोजन के उपरान्त गतिविधि से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स व रिकार्ड संधारित किया जायेगा, जो अधिकारियों के अवलोकन हेतु विद्यालय में सुरक्षित रहेगा।

लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :-

1. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है, व्यय उसी मद में ही किया जायें।
2. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।






3. राशि का उपयोग योजना के दिशा-निर्देशों, MoE, GoI, नई दिल्ली की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

नोट:-गतिविधि संचालन के दौरान कोविड-19 के सन्दर्भ में चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन तथा राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी समस्त दिशा-निर्देशों का पूर्णता से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

*31/8/2022*  
(डॉ. मोहन लाल यादव)  
राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक : रास्कूशिप/जय/सामु.गति./आपणी लाडो/दिशा-निर्देश/2022-23/3024 दिनांक : 31/8/2022  
प्रतिलिपि :-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राज. स्कू. शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
8. उपायुक्त (योजना एवं शालादर्पण), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
9. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, समस्त जिला को पालनार्थ।
10. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिला को पालनार्थ।
11. रक्षित पत्रावली।

  
अति. राज्य परियोजना निदेशक-द्वितीय




## Aapni Lado

## Physical and Financial Target of Districts 2022-23

(Rs. in Lakhs)

S.No.	DISTRICT	Total no. of School PS/Ups	Per School @200 Rs.	Total No. of Govt. Composite Sec./Sr. Sec. Schools*	Per School @200 Rs.	Total School (Ele+Sec./Sr.Sec.)	Per School @200 Rs.
		Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.(in lakhs)
1	AJMER	1334	2.668	525	1.050	1859	3.718
2	ALWAR	2034	4.068	795	1.590	2829	5.658
3	BANSWARA	2733	5.466	464	0.928	3197	6.394
4	BARAN	1282	2.564	309	0.618	1591	3.182
5	BARMER	4091	8.182	721	1.442	4812	9.624
6	BHARATPUR	1201	2.402	555	1.110	1756	3.512
7	BHILWARA	2311	4.622	578	1.156	2889	5.778
8	BIKANER	1594	3.188	447	0.894	2041	4.082
9	BUNDI	975	1.95	275	0.550	1250	2.500
10	CHITTAURGARH	1405	2.81	411	0.822	1816	3.632
11	CHURU	896	1.792	513	1.026	1409	2.818
12	DAUSA	1184	2.368	385	0.770	1569	3.138
13	DHAULPUR	849	1.698	291	0.582	1140	2.280
14	DUNGARPUR	2274	4.548	399	0.798	2673	5.346
15	GANGANAGAR	1456	2.912	487	0.974	1943	3.886
16	HANUMANGARH	730	1.46	364	0.728	1094	2.188
17	JAIPUR	2767	5.534	986	1.972	3753	7.506
18	JAISALMER	1096	2.192	192	0.384	1288	2.576
19	JALOR	1482	2.964	396	0.792	1878	3.756
20	JHALAWAR	1361	2.722	328	0.656	1689	3.378
21	JHUNJHUNU	1010	2.02	530	1.060	1540	3.080
22	JODHPUR	2839	5.678	716	1.432	3555	7.110
23	KARAULI	1119	2.238	324	0.648	1443	2.886
24	KOTA	775	1.55	321	0.642	1096	2.192
25	NAGAUR	2292	4.584	756	1.512	3048	6.096
26	PALI	1340	2.68	501	1.002	1841	3.682
27	PRATAPGARH (RAJ.)	1509	3.018	214	0.428	1723	3.446
28	RAJSAMAND	1420	2.84	301	0.602	1721	3.442
29	SAWAI MADHOPUR	780	1.56	308	0.616	1088	2.176
30	SIKAR	1347	2.694	640	1.280	1987	3.974
31	SIROHI	760	1.52	239	0.478	999	1.998
32	TONK	1167	2.334	338	0.676	1505	3.010
33	UDAIPUR	3682	7.364	751	1.502	4433	8.866
<b>Total</b>		<b>53095</b>	<b>106.19</b>	<b>15360</b>	<b>30.72</b>	<b>68455</b>	<b>136.91</b>



27/7/2022